संख्या- 39/2017/2544/60-2-17-2/1(38)/17

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2017

विषय : अनुपूरक पोषाहार (टेकहोम राशन) की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-19/2017/1405/60-2-17-2/1(38)/17, दिनांक 29, मई, 2017, जिसके द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार की प्राप्ति, वितरण एवं भुगतान के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए उक्त का अनुपालन दिनांक 01 जून, 2017 से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-1.2 एवं बिन्दु संख्या-4 के अन्तर्गत दिये गये प्रपत्र-7 में निम्नानुसार वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर संशोधित करते हुए पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है :-

बिन्दु संख्या-1.2 में वर्तमान व्यवस्था	बिन्दु संख्या-1.2 में पदस्थापित व्यवस्था
परियोजना स्तर पर आपूर्ति प्राप्त होने पर भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आपूर्तित पोषाहार का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन का अंकन परियोजना कार्यालय पर रक्षित स्टाक पंजिका पर करेंगे।	परियोजना स्तर पर आपूर्ति प्राप्त होने पर भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आपूर्तित पोषाहार का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन का अंकन परियोजना कार्यालय पर रक्षित स्टाक पंजिका पर करेंगे। यदि 48 घंटे के अन्दर उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आपूर्तित पोषाहार का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है, तब बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पोषाहार का वितरण आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामित अधिकारी को पोषाहार सत्यापन करने की लिखित सूचना प्राप्त हो गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बिन्दु संख्या-4 के प्रपत्र-7 में वर्तमान व्यवस्था	बिन्दु संख्या-4 के प्रपत्र-7 में पदस्थापित व्यवस्था
प्रमाणित किया जाता है कि देयक में अंकित विभिन्न खाद्य सामग्री की मात्रा परियोजनाओं में प्राप्त हुई है तथा परियोजनाओं के भण्डार पंजिका में दर्ज की गयी है। देयक में संख्या..... दिनांक ..... में उल्लिखित मात्रा ..... प्रमाणित की जाती है तथा देयक जिला कार्यालय की पंजिका के पृष्ठ ..... क्रमांक ..... पर दिनांक ..... को दर्ज की गयी है। सम्बन्धित प्रमाणित चालान व सत्यापित बिल संलग्न कर प्रेषित है। भुगतान की संस्तुति की जाती है।	प्रमाणित किया जाता है कि देयक संख्या..... दिनांक ..... में अंकित खाद्य सामग्री की मात्रा ..... दिनांक ..... को बाल विकास परियोजना में प्राप्त हुई है तथा परियोजना के भण्डार पंजिका के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज की गयी है। देयक जिला कार्यालय की पंजिका के पृष्ठ संख्या..... पर दिनांक ..... को दर्ज की गयी है। सम्बन्धित प्रमाणित सत्यापित बिल संलग्न कर प्रेषित है। भुगतान की संस्तुति की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-19/2017/1405/60-2-17-2/1(38)/17, दिनांक 29.05.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

भवदीया,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या : 39/2017/2544/60-2-17-2/1(38)/17, तददिनांक।

प्रतिलिपि -: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
.5 समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in